न्यायालयः अनुविभागीय अधिकारी (रा0) प्रतापपुर,जिला–सूरजपुर (छ0ग0)

प्ररूप –ड.

(नियम 7(2)देखिये)

//अनुज्ञा//

क्रमांक 2846 /वाचक/2025 प्रतापपुर,दिनांक 20 /06/2025

प्रति,

सहायक अभियंता छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
परियोजना संभाग सूरजपुर –कोरिया

विषयः– प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति।

—0—

विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र कमांक 187/तक.स./नि.का./2025 बैकुंठपुर दिनांक 07.04.2025 अनुसार जिला सूरजपुर अन्तर्गत विकासखण्ड प्रतापपुर में बैडमिंटन कोर्ट स्टेडियम का निर्माण कार्य हेतु हाई स्कूल ग्राउण्ड प्रतापपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 944 रकबा 3.09 हे. में से 30 मीटर X 50 मीटर = 1500 वर्गमीटर में बैडमिंटन कोर्ट इंडोर स्टेडियम हेतु प्रस्तावित किया गया है । उक्त भूमि में स्थित 02 नग आम 01 नग पीपल का वृक्ष है जो कि प्रस्तावित निर्माण स्थल पर स्थित है जिसकी कटाई के संबंध में अनुमति चाही गई है ।

इस संबंध में ईश्तहार का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र घटती–घटना समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गया । नियत अवधि तक कोई आक्षेप प्राप्त नहीं । राजस्व विभाग एवं वनविभाग के सयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 23.05.2025 को जारी किया गया । संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 11.06.2025 को प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अनुसार आवेदित शासकीय भूमि प्रतापपुर तहसील प्रतापपुर स्थित खसरा नंबर 944 रकबा 3.09 हे. में से 30 मीटर X 50 मीटर = 1500 वर्गमीटर में पर 02 नग आम एवं 01 नग पीपल का वृक्ष पाया गया है । उक्त वृक्षों में (1) आम वृक्ष की गोलाई 342 से.मी. (जलाउ) (2) आम वृक्ष की गोलाई 328 से.मी. (जलाउ) एवं (3) पीपल वृक्ष की गोलाई 116 से.मी. (जलाउ) है। उपरोक्त वृक्ष किसी रोड, धार्मिक स्थल व सार्वजनिक स्थल के किनारे पर नहीं है और न ही नदी, नाला के किनारे पर स्थित है । उक्त वृक्षों को काटने से भू–क्षरण होने की संभावना नहीं है और न ही पर्यावरण को क्षति होगी । आवेदन व जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया ।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचती हूं कि आवेदित शासकीय भूमि प्रतापपुर तहसील प्रतापपुर स्थित खसरा नंबर 944 रकबा 3.09 हे. में

में 30 मीटर x 50 मीटर = 1500 वर्गमीटर में पर 02 नग आम एवं 01 नग पीपल का वृक्ष पाया गया है । उक्त वृक्षों में (1) आम वृक्ष की गोलाई 342 से.मी. (जलाउ) (2) आम वृक्ष की गोलाई 328 से.मी. (जलाउ) एवं (3) पीपल वृक्ष की गोलाई 116 से.मी. (जलाउ) है। वृक्षों को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लघंन नहीं हो रहा है । अतः छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 2022 के कंडिका 3(छः) अनुसार ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हों के आधार पर **बैडमिंटन कोर्ट स्टेडियम का निर्माण कार्य हेतु हाई स्कूल ग्राउण्ड प्रतापपुर** में वर्णित खसरें में लोक प्रयोजन हेतु प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष 02 नग आम एवं 01 पीपल का वृक्ष कटाई पर अनुमति दी जाती है।

छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 2022 के नियम 7(2) के अनुसार छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क्र.9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अन्तर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए वन मण्डलाधिकारी नियमानुसार वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक अभिवहन सुनिश्चित करें ।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
प्रतापपुर, जिला सूरजपुर

पृ0क्रमांक 2541A / वाचक / 2025 प्रतापपुर, दिनांक 20/06/2025

प्रतिलिपिः-

1. कलेक्टर महोदय सूरजपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल सूरजपुर को सूचनार्थ एवं नियमानुसार कार्यवाही हेतु ।
3. अनुविभागीय अधिकारी वन प्रतापपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. तहसीलदार प्रतापपुर को सूचनार्थ एवं वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु ।
5. खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड प्रतापपुर को सूचनार्थ ।
6. वन परिक्षेत्राधिकारी वन विभाग प्रतापपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
प्रतापपुर, जिला सूरजपुर